Indian Streams Research Journal
Vol -1 , ISSUE –2, March – 2011
ISSN:- 2230-7850
Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

भारत में लिंग असमानता

फरहत खान, डॉ. सुश्री अरूणा सेठी
शोधार्थी[1] , विक्रम वि.वि. , उज्जैन, म. प्र.
सहायक प्राध्यापक[2], माधव विधि महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, उज्जैन, म. प्र.

प्रस्तावना :

हम २१ वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाये तो शान्त हो जाते हैं यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। लड़के के लिये इतना ज्यादा प्यार की लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं, यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती तो हम जीवनभर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूँढ लेते हैं। हालांकि, हमारे धार्मिक विचार औरत को देवी का स्वरूप मानते हैं लेकिन हम उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से ही मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं, पर लड़कियों का शोषण करते हैं। जहाँ तक की महिलाओं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल हैं तो हम दोहरे–मानकों का एक ऐसा समाज हैं जहाँ हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से अलग है। चलो लिंग असमानता की घटना को समझने का प्रयास करते हैं और कुछ समाधानों खोजते है।

लैंगिक असमानता की परिभाषा और संकल्पना –

'लिंग' सामाजिक–सांस्कृतिक शब्द हैं, सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुये समाज में 'पुरुषों' और 'महिलाओं' के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता हैं, जबकि 'सेक्स' शब्द 'आदमी' और 'औरत' को परिभाषित करता है तो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में, लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध हैं जहाँ पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धान्त समझना चाहिये, जबकि 'सेक्स' मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है।

लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परम्परागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति–वर्ग के रूप में माना जाता है। वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है। वो घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित, अक्रमित और भेद–भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का ये अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है।

भारत में लैंगिक असमानता के कारण और प्रकार –

भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार '' पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था हैं, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैं, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।'' महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है।

उदाहरण के लिये, प्राचीन भारतीय हिन्दू कानून के निर्माता मनु के अनुसार, ''ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है।''

मनु द्वारा महिलाओं के लिये ऊपर वर्णित स्थिति आज के आधुनिक समाज की संरचना में भी मान्य है। यदि यहाँ–वहाँ के कुछ अपवादों को छोड़ दे तो महिलाओं को घर में या घर के बाहर समाज या दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं मिली है।

मुस्लिमों में भी समान स्थिति हैं और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा है।

हमारे समाज में लैंगिक असमानता की दुर्भाग्यपूर्ण बात भी महिलाएँ है, प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक स्थितियों के कारण उन्होंने पुरुषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया हैं और वो भी इस समान पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंग है।

महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वैश्यावृत्ति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर होती है। महिलाओं को न केवल असमान वेतन या अधिक कार्य कराया जाता है बल्कि उनके लिये कम कौशल की नौकरियाँ पेश की जाती है जिनका वेतनमान बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।

लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये, अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल माँग की शर्तों को पूरा करने में असमक्ष हो जाती हैं, वहीं प्रत्येक साल हाईस्कूल और इंटर मीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। ये प्रदर्शित करता हैं कि १२ वीं कक्षा के बाद माता–पिता लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च नहीं करते जिससे कि वो नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं।

सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, परिवार, खाना की आदतों के मामले में भी, वो केवल लड़का ही होता जिसे सभी प्रकार का पौष्टिक और स्वादिष्ट पसंदीदा भोजन प्राप्त होता हैं जबकि लड़की को वो सभी चीजें खाने को मिलती है जो परिवार के पुरुष खाना खाने के बाद बचा देते हैं जो दोनों की रुपों गुणवत्ता और पौष्टिकता में बहुत ही घटिया किस्म का होता है और यही बाद के वर्षों में उसकी खराब सेहत का प्रमुख कारण बनता है। महिलाओं में रक्त की कमी के कारण होने वाली बीमारी एनिमीया (अल्परक्तता) और बच्चों को जन्म देने के समय होने वाली परेशानियों का प्रमुख कारण घटिया किस्म का खाना होता है जो इन्हें अपने पिता के घर और ससुराल दोनों जगह मिलता है इसके साथ ही असह्य काम का बोझा जिसे वो बचपन से ढोती आ रही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।

भारत में लैंगिक असमानता का महत्वपूर्ण डाटा –

वैश्विक सूचकांक –

लैंगिंक असमानता भारत की विभिन्न लिंग सूचकांकों में खराब रैंकिंग को प्रदर्शित करती है।

यूएनडीपी के लिंग असमानता सूचकांक – २०११, १५२ देशों की सूची में भारत की स्थिति १२७ वें स्थान पर है। सार्क देशों से संबंधित देशों में केवल अफगानिस्तान ही इन देशों की सूची में उपर है। ये सूचकांक में चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक अंतर की जाँच करता हैं, आर्थिक भागीदारी और अवसर। शैक्षिक उपलब्धियाँ। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। राजनीतिक सशक्तिकरण।

इन सभी सूचकांकों के अन्तर्गत भारत की स्थिति इस प्रकार है :

आर्थिक भागीदारी और अवसर – १३४। शैक्षिक उपलब्धियाँ – १२६। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा –१४१। राजनीतिक सशक्तिकरण – १५।

ये दोनों वैश्विक सूचकांक लिंग समानता के क्षेत्र में भारत की खेदजनक स्थिति को प्रदर्शित करते है। बस केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत की कार्य सराहनीय है लेकिन अन्य सूचकांकों में इसकी स्थिति बहुत खेदजनक है और इस स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

लैंगिक असमानता सांख्यिकी –

लिंग असमानता विभिन्न तरीकों में प्रकट होता है और भारत में जो सूचकांक सबसे अधिक चिन्ता का विषय है वो निम्न है –

कन्या भ्रूण हत्या कन्या बाल हत्या , बच्चों का लिंग अनुपात (० से ६ वर्ग) : ९१९ लिंग अनुपात : ९४३ महिला साक्षरता : ४६ मातृ हत्या दर : १००००० जीवित जन्मों प्रति १७८ लोगों की मृत्यु।

ये ऊपर वर्णित सभी महत्वपूर्ण सूचकांक में से कुछ सूचकांक है जो देश मे महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या और बाल कन्या हत्या सबसे अमानवीय कार्य है और ये बहुत शर्मनाक है कि ये सभी प्रथाएं भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं।

ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कानूनों अर्थात् प्रसव-पूर्व निदान की तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम १९९४, के बावजूद आज भी लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात अपने उच्च स्तर पर है। मैकफर्सन द्वारा किये गये एक शोध के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारत में लगभग १००००० अवैध गर्भपात हर साल केवल इसलिये कराये जाते हैं क्योंकि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की का भ्रूण होता है।

इसके कारण, २०११ की जनगणना के दौरान एक खतरनाक प्रवृत्ति की सूचना सामने आयी कि बाल लिंग अनुपात (० से ६ साल की आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंग अनुपात) ९१९ है जो पिछली जनगणना २०११ में ८ अंक कम था। ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि लिंग परीक्षण के बाद गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हुई है।

जहाँ तक पूरे लिंग-अनुपात की बात है। २०११ की जनगणना के दौरान ये ९४३ था जो २००१ की ९३३ की तुलना में १० अंक आगे बढ़ा है। यद्यपि ये एक अच्छा संकेत हैं कि पूरे लिंग-अनुपात में वृद्धि हुई है लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में नहीं है।

२०११ के अनुसार पुरुषों की ८२.१४ साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता ६५.४६ प्रतिशत है। ये अन्तराल भारत में महिलाओं के साथ व्यापक असमानता को प्रदर्शित करता है साथ ही ये भी इंगित करता है कि भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ये सभी संकेतक लिंग समानता और महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिये प्रत्येक साल भारतीय सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती हैं ताकि इनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो लेकिन जमीनी हकीकत ये कि इतने कार्यक्रमों के लागू किये जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नज़र नहीं आता। ये परिवर्तन तभी दिखायी देंगे जब समाज में लोगों के मन में पहले से बैठे हुये विचार और रूढ़िवादिता को बदला जायेगा, जब समाज खुद लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करेगा और लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझेगा।

लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

लिंग असमानता को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद १५ भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद १५ (३) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है।

इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा, विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किये गये हैं। उदाहरण के लिये, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम १९८७ के अन्तर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इस अमानवीयकृत कार्य को दंडनीय अपराध बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१, दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए, विशेष विवाह अधिनियम १९५४ अंतर्जातीय या अंतरधर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिए, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक (कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए १९९१ में संसद में पेश किया गया, १९९४ में पारित किया है।) इसके अलावा संसद समय-समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये बहुत से सुधार करती रहती हैं, उदाहरण के लिये, भारतीय दण्ड संहिता १८६० में धारा ३०४-बी को दहेज-केस दुल्हन की मृत्यु या दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष अपराध बनाकर आजीवन कारावास का दंड देने का प्रावधान किया है।

भारत में महिलाओं के लिये बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाये हैं पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग हैं। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाएं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है, पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर हैं दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है, कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है।

हम लैंगिक असमानता कैसे समाप्त कर सकते है

संवैधानिक सूची के साथ-साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं चलती रहेंगी लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी संभव है जब पुरुषों की सोच को बदला जाये। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दे न कि उन्हें अपना अधीनस्थ समझे। यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी औज की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढिवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो भी इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गयी हैं और पुरुषों को खुद पर हावी होने में सहायता कर रही है।

इसलिए, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हैं जहाँ महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैं जहां वो अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती है, जहाँ वो अपने अधिकारों को पुरुषों की जेब में से निकाल सकती हैं और इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, जहां वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व अपनी सम्पत्ति की स्वयं मालिक बन सकती हैं और इन सबसे से भी ऊपर उन्हें मनु के समय से लगाई गयी सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी, लोकतंत्र, आने वाले समय में और पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जायेगा और हम सभी को सोच व कार्यों की वास्तविकता के साथ में सपने में पोषित आधुनिक समाज की ओर ले जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1.S.N. Mishra, Labour and indus trial laws, Central law publications 2009.
2.Govt. of India, Indian labour year book – 2008-2009.
३.मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ए.आई.आर. १९८५, एस.सी. ३४५-९५४.
४.मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम १९८६.
५.जयनारायण पाण्डेय, भारत की संविधान, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन २०१०.
६.संविधान ७३ वां, ७४ वां संशोधन १९९२.